संख्या- 10/2015/3520/9-1-15-21सा/2009

प्रेषक

श्रीप्रकाश सिंह

सचिव

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

निदेशक,

स्थानीय निकाय,

उ0प्र0 लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-1 लखनऊ: दिनांक: 24 अगस्त, 2015

विषय:- वेतन समिति 2008 की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार नगरीय स्थानीय निकायों/जल संस्थानों के विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियों एवं अधिकारियों के लिये सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन (ए0सी0पी0) की व्यवस्था।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वेतन समिति 2008 की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार नगरीय स्थानीय निकायों/जल संस्थानों की विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियों/अधिकारियों को सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन (ए0सी0पी0) की व्यवस्था के अन्तर्गत् समय-समय पर निर्गत शासनादेश संख्या- 2244/नौ-1-10-21सा/2009, दिनांक 26 जुलाई, 2010, शासनादेश संख्या-700/नौ-1-14-21सा/2009, दिनांक 07-02-2014, शासनादेश संख्या-2805/नौ-1-14-21सा/2009, दिनांक 11-07-2014, शासनादेश संख्या-2804/नौ-1-14-21सा/2009, दिनांक 11-07-2014 एवं संशोधन/शुद्धि पत्र संख्या-2888/नौ-1-14-21सा/2009, दिनांक 30-09-2014 को अवक्रमित करते हुए वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-वे0आ0-2-773/दस-62 (एम)/2008 दिनांक 05 नवम्बर 2014 को स्थानीय निकायों एवं जल संस्थानों के कार्मिको के लिये निम्न प्रतिबन्धों के अधीन अंगीकृत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(1) उपर्युक्त व्यवस्था लागू किये जाने से आने वाले अतिरिक्त व्ययभार को संबंधित निकाय/जल संस्थान द्वारा अपने स्रोतों से वहन किया जायेगा और इस

हेतु राज्य सरकार द्वारा संक्रमण के माध्यम से उपलब्ध करायी जा रही धनराशि के अतिरिक्त कोई धनराशि देय नहीं होगी ।

(2) शासनादेश दिनांक 05 नवम्बर 2014 के प्रस्तर-1 के बिन्दु संख्या-9, 12 तथा प्रस्तर-7 व 8 को इनके लिये प्रभावी नहीं माना जायेगा।

(3) उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 05 नवम्बर 2014 के प्रस्तर-1 के बिन्दु संख्या-10 में उल्लिखित व्यवस्था के स्थान पर यह प्रतिस्थापित माना जायेगा कि " केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/स्थानीय निकाय/स्वशासी संस्था/सार्वजनिक उपक्रम /निगम में की गयी पूर्व सेवा को वित्तीय स्तरोन्नयन के लिये गणना में नही लिया जायेगा।"

2. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-वे.आ.-2-1021/दस-2015, दिनांक 19 अगस्त, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(श्रीप्रकाश सिंह)
सचिव।

<u>संख्या- 10 /2015/3520(1)/9-1-2015 तद्दिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, लेखा (प्रथम), उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी उ0प्र0 ।
3. समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त महाप्रबन्धक, जलकल विभाग/जलसंस्थान, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी,नगरपालिका परिषद/नगर पंचायतें द्वारा निदेशक स्थानीय निकाय उ0प्र0।
6. वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1/2
7. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8
8. नगर विकास के समस्त अनुभाग।
10. गार्ड फाईल/कम्प्यूटर सेल

आज्ञा से,

(बिहारी लाल काने)
अनु सचिव।